न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 19/2021 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2021/20)

सुखदेवसिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह जाति बाजीगर निवासी 24 एल.एल. डब्ल्यू. पक्का सहारणा, हनुमानगढ, तहसील व जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट

बनाम

1. रमेश कुमार पुत्र श्री उदाराम जाति जाट निवासी पक्का सहारणा हाल निवासी बरायच दंत चिकित्सालय, बस स्टेण्ड के पास, हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. कृष्णचंद पुत्र श्री उदाराम जाति जाट निवासी पक्का सहारणा, तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. छगनाराम पुत्र श्री उदाराम जाति जाट निवासी पक्का सहारणा, हाल निवासी सैक्टर नं. 6 बलबीर आटा चक्की के पास, चुना फाटक, हनुमानगढ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ।
4. लेखराम पुत्र श्री उदाराम जाति जाट निवासी पक्का सहारणा, हाल निवासी सैक्टर नं. 6 बलबीर आटा चक्की के पास, चुना फाटक, हनुमानगढ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ।
5. श्रीगंगानगर सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, जरिये सचिव श्रीगंगानगर, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः
1. श्री नरेन्द्र गौड़ – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री ओमप्रकाश चाण्डक – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 4
3. श्री हसराज सोनी – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 5
3. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 15.03.2022**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 27.07.2021 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने तहसीलदार हनुमानगढ द्वारा स्वीकृत इन्तकाल सं. 78 दिनांक 18.10.1996 के विरूद्व जिला कलक्टर हनुमानगढ मे अपील पेश कर उसे निरस्त करने का निवेदन किया, जिस पर अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27.07.2021 द्वारा अपीलान्ट की अपील

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

मियाद के बिन्दु पर खारिज कर दी। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट के दादा दीवानचन्द पुत्र झण्डाराम के नाम की चक 22 एल.एल. डब्ल्यू बी के पत्थर नं. 76/225 (34) के किला नं. 6 ता 25 की कुल 5.060 हैक्टर अर्थात 20 बीघा भूमि को तहसीलदार हनुमानगढ द्वारा इन्तकाल सं. 78 दिनांक 18.10.1996 के द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 3 के नाम दर्ज कर दी। उक्त भूमि अपीलान्ट के दादा की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि थी। रेस्पोडेन्ट सं. 5 द्वारा समय पर बैक ऋण की अदायगी नही करने पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 3 के नाम से बैयनामा दिनांक 25.07.1996 को तस्दीक करवा दिया, उक्त बैयनामा के आधार पर तहसीलदार हनुमानगढ द्वारा इन्तकाल सं. 78 दिनाक 18.10.1996 स्वीकृत कर दिया जबकि राजस्थान टेनेन्सी एक्ट की धारा 42 (ख) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्ति की कृषि भूमि का अन्तरण स्वर्ण जाति के व्यक्ति के पक्ष मे नही किया जा सकता। नामान्तकरण सं. 78 दिनांक 18.10.1996 के विरूद्व अपीलान्ट ने प्रथम अपील न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के समक्ष कर अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया। अपीलान्ट ने अपील के साथ मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपीलान्ट के नाबालिग होने, जानकारी नही होने तथा रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 4 द्वारा कृषि भूमि का कब्जा सौपने से इन्कार करने पर मियाद का प्रश्न गौण होने के आधार पर विलम्ब को न्यायहित में माफ करने की प्रार्थना की गई थी, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु पर गौर किये बगैर केवल मियाद बिन्दु पर मेरी अपील को मनमाने ढंग से निरस्त कर दी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27.07.2021 मे बिना किसी आधार के यह तथ्य अंकित किया कि अपीलान्ट को सार्वजनिक निलामी में भूमि प्रत्यर्थी सं. 1 से 3 को विक्रय किये जाने, कब्जा भूमि सुपुर्द किये जाने व

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

प्रश्नगत भूमि का नामान्तकरण प्रत्यर्थीगण के नाम होने की जानकारी रही है तथा ऐसी उपधारणा भी है, कितने आश्चर्य की बात है कि अधीनस्थ के संमक्ष अपीलान्ट ने स्पष्ट रूप से यह तथ्य अंकित किया था कि वरवक्त नामान्तकरण पर अपीलान्ट नाबालिग था। अपीलान्ट का जन्म 1990 मे हुआ था। वरवक्त अपीलान्ट 6 वर्ष का था। अपीलान्ट ने प्रथम जानकारी के अनुसार होने पर मियाद प्रार्थना पत्र के साथ अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की मगर अधीनस्थ न्यायालय ने मेरे मियाद के बिन्दु पर बिना विवेचन किये मेरी अपील को खारिज करना गलत है। मेरिट पर मेरा मामला मजबूत था। अधीनस्थ न्यायालय ने बड़ी जल्द बाजी से मेरा निर्णय पारित कर दिया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ का निर्णय दिनांक 27.07.2021 व तहसीलदार हनुमानगढ का इन्तकाल सं. 78 दिनांक 18.10.1996 को निरस्त किया जावे। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में RRT 2020 (2) पेज 791, RRT 2017 (2) पेज 1104, RRT 2016 (2) पेज 971, RRT 2016 (2) पेज 1058, RRT 2019 (2) पेज 788 से 792, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.07.2021 के विरूद्व अपील प्रस्तुत की जिसमें अपीलान्ट की अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज की जा चुकी है जो सही है। अपीलान्ट द्वारा अपने अपील मीमो कें अंतिम भाग में अंकित किया कि तहसीलदार हनुमानगढ का इन्तकाल सं. 78 दिनांक 18.10.1996 को निरस्त किये जाने की मांग की है, मियाद के बिन्दु को खारिज करने की मांग नही की है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय नही कर मियाद के बिन्दु पर अपील को खारिज किया गया है। इस न्यायालय द्वारा केवल यह देखा जाना है कि अधीनस्थ द्वारा अपीलान्ट की अपील को मियाद के बिन्दु पर सही खारिज किया है या गलत। इन्तकाल खारिज करने की मांग अधीनस्थ न्यायालय में जाकर करे। इस न्यायालय में मियाद की रिलीफ नही मागी। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 5 के

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

प्रार्थना पत्र में अंकित किया कुछ माह पूर्व जानकारी हुई, फिर कहते है कि राजस्व रिकार्ड की जांच करने पर सर्वप्रथम जानकारी हुई। बैयनामा दिनांक 25.07.1996 को हुआ, बैयनामें कें अनुसरण में इन्तकाल सं. 78 दिनांक 18.10.1996 स्वीकृत हुआ तथा दीवान चन्द जिसे अपीलान्ट अपना दादा बता रहे है उनकी मृत्यु दिनांक 14.07.1998 को हुआ। बैयनामें एवं नामान्तकरण के करीब 2 साल बाद दीवान चन्द की मृत्यु हुई है। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रथम अपील दिनांक 09.04.2021 को 25 साल बाद अपील प्रस्तुत की। अगर अपीलान्ट 25 साल बाद अपील प्रस्तुत कर रहे है तो प्रार्थना पत्र धारा 5 में पुख्ता आधार पेश करने होगे। मियाद तो दीवान चन्द के जिन्दा रहते ही समाप्त हो गई। दीवान चन्द ने बैक से ऋण लिया था जो उसे चुकता नही कर पा रहे थें। बैक द्वारा निलामी करने पर विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पोडेंन्ट के नाम इन्तकाल दर्ज किया गया है। तथा निलामी के वक्त दीवान चन्द व उनके 6 लड़के जिसमें अपीलान्ट के पिता भी शामिल है निलामी से सहमत थे। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की अपील मियाद के बिन्दु पर सही खारिज की है। इसके अलावा इन्तकाल सं. 78 दिनांक 18.10.1996 उपविधि परामर्शी पंजीयन एवं मुद्राक विभाग के आदेश दिनांक 13.06.96 की पालना स्वीकृत हुआ है। अपीलान्ट ने मूल आदेश की अपील नही कर उसके आदेश की पालना में भरा गया इन्तकाल सं. 78 के विरूद्व अपील पेश की जो चलने योग्य नही है। अतः अपीलान्ट की अपील इसी स्तर पर खारिज की जावे। रेस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में RRD 1980 NUC 20, RRD 1994 पेज 478, RRD 1990 पेज 20, RRD 1991 पेज 164, RBJ 1998 पेज 443, RRD 1990 पेज 545, AIR 2001 S C 2607, AIR 1999 S C 95, 2010 (2) WLN 98 RAJ, RRD 1996 पेज 565, CLT 1996 (2) पेज 301, RLW 1998 (2) RAJ पेज 746, AIR 1981 S C 1921, AIR 1999 GUJ 81, AIR 1989 S C 2276, AIR 77 BOMBAY पेज 1, RRD 1987 HC पेज 106, 2020 CJ RAJ पेज 674, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 5 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में 25 साल बाद अपील पेश की जो स्पष्ट मियाद बाहर थी। दीवानचन्द एवं अपीलान्ट के पिता की निलामी में सहमति के बाद बैक द्वारा उसके ऋण चुकता के बाद शेष बचीं राशी खातेदारो के खातो में जमा की गई थी। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावें।

7. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट् द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़ के निर्णय दिनांक 27–07–2021 व तहसीलदार हनुमानगढ़ के नामान्तरणकरण संख्या 78 दिनांक 18.10.96 जिससे रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज/स्वीकृत किया गया है, से व्यथित होकर उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 27–07–2021 व नामान्तरणकरण संख्या 78 दिनांक 18–10–1996 को निरस्त करने की इस्तदुआ की गई है। हस्तगत् मामलें में अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरणकरण संख्या 78 स्वीकृत दिनांक 18–10–1996 के विरूद्व अपील 24 वर्ष 6 माह के उपरान्त प्रस्तुत होने, तथा विलम्ब से प्रस्तुत अपील की अवधि को कण्डोन करने का संतोषजनक, ठोस एवं विश्वसनीय कारण प्रस्तुत नहीं किये जाने के फलस्वरूप गुणावगुण के बिन्दु पर अभिनिर्धारित करने की बजाय मियांद के बिन्दु पर खारिज की गई है। ऐसी स्थिति में न्यायालय हाजा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के मियांद के बिन्दु पर पारित आदेश की वैधता को ही इस अपील के माध्यम से दृष्टिगत्/निर्णित किया जा सकता है। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1991 पेज 164 जिसमें अभिलिखित किया गया है कि:– **If an appeal is field after the prescribed time, the first questions to be decided is as to whether the appeal is within the prescribed period of limitation and if not, whether the application u/s 5, if any, filed along with the appeal should be allowed and the delay is preferring the**

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

appeal should be condoned or nor – without this first step, an appellate court cannot and should not proceed to dispose of the appeal on merit., मामलें पर पूर्णतया चस्पा होती है। उक्त नजीर के प्रकाश में अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत अपील के गुणावगुण पर अभिनिर्धारित करने की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती।

8. प्रकरण में जहॉ तक प्रथम अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने अर्थात मियांद का प्रश्न है, वादग्रस्त भूमि चक 22 एलएलडब्ल्यू 'बी' के पत्थर नम्बर 76/225 (34) के किला नम्बर 6 ता 25 की कुल 5.060 हेक्टर अर्थात 20 बीघा भूमि के बाबत् तहसीलदार, हनुमानगढ़ द्वारा नामान्तरणकरण संख्या 78 दिनांक 18–10–1996 के विरूद्व अपीलांट् द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 09–04–2021 को आदेश पारित होने के करीब 24 वर्ष 06 माह उपरान्त प्रस्तुत की गई है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील के साथ प्रस्तुत मियांद प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांट् द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में अभिलिखित किया गया है कि प्रश्नगत् भूमि का नामान्तरणकरण संख्या 78 दिनांक 18–10–1996 को दर्ज किया गया है, जिसकी कोई जानकारी प्रार्थी/अपीलांट को नहीं हुई। कुछ माह पूर्व प्रत्यार्थी संख्या 1 ता 4 द्वारा कृषि भूमि का कब्जा सौपनें से इंकार करने पर प्रार्थी/अपीलांट को रिकार्ड की जॉच करने पर सर्वप्रथम जानकारी हुई। प्रार्थी के दादा की मृत्यु के उपरान्त प्रार्थी के पिता मानसिक रूप से बीमार रहने व प्रार्थी के नाबालिग होने के कारण प्रार्थी/अपीलांट को उक्त कार्यवाही की जानकारी नहीं हुई तथा जानकारी के दिन से अपील अन्दर मियांद प्रस्तुत की गई है। अपीलांट् द्वारा जानबूझ कर अपील प्रस्तुत करने पर विलम्ब नहीं किया गया है। जिसके सम्मबन्ध में अधीनस्थ न्यायालय का अभिमत है कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश के विरूद्व अपील करीब 24 वर्ष 06 माह के उपरान्त प्रस्तुत की गई है तथा मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने के संतोषजनक कारण नहीं होने से अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज की गई है।

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

9. इस संबंध में हमारा अभिमत है कि अपीलांट् द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि के बाबत् स्वीकृत नामान्तरणकरण संख्या 78 दिनांक 18–10–1996 के विरूद्व अपील दिनांक 09–04–2021 को प्रस्तुत करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में अभिलिखित किया गया है कि प्रश्नगत् भूमि का नामान्तरणकरण संख्या 78 दिनांक 18–10–1996 को दर्ज किया गया है, जिसकी कोई जानकारी प्रार्थी/अपीलांट को नहीं हुई व कुछ माह पूर्व अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि के मौके का कब्जा सौपनें से इंकार करने पर प्रार्थी/अपीलांट को रिकार्ड की जॉच करने पर सर्वप्रथम जानकारी हुई। प्रार्थी के दादा की मृत्यु के उपरान्त प्रार्थी के पिता मानसिक रूप से बीमार रहने व प्रार्थी के नाबालिग होने के कारण प्रार्थी/अपीलांट को उक्त कार्यवाही की जानकारी नहीं हुई तथा जानकारी के दिन से अपील अन्दर मियांद प्रस्तुत की गई है। जबकि अपीलान्ट द्वारा अपने पिता के बीमारी सम्बन्धी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुंत नही किये गये है। साथ ही अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत करते समय दिनांक 09.04.2021 को प्रार्थना पत्र दफा 5 के सर्मथन में प्रस्तुंत शपथ पत्र में अपनी आयु 30 वर्ष अंकित की है। जिससे स्पष्ट हे कि अपीलान्ट ने बालिग होने के बाद भी करीब 12 वर्ष पश्चात प्रथम अपील प्रस्तुंत की है जिनसे स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट ने केवल अपील को अन्दर मियाद बताने के लिए अपने पिता की बीमारी एवं नाबालिग होने का कथन किया है। जो कि साक्ष्यो से प्रमाणित है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट द्वारा अपील मीमो में भी यह अंकित किया है कि अपीलांट् का जन्म वर्ष 1990 में हुआ था इस प्रकार बरवक्त नामान्तरणकरण अपीलांट् 06 वर्ष का था। अपीलांट् के इस कथन पर विश्वास भी कर लिया जावे तब भी अपीलांट् वर्ष 2008 में व्यस्कता प्राप्त कर चुका था। इस प्रकार अपीलांट् व्यस्कतता होने की अवधि के उपरान्त अर्थात वर्ष 2008 से 13 वर्ष व्यतीत होने के तक अपने अधिकारों के प्रति सावचेत नहीं रहा है। अपीलांट् द्वारा व्यस्कतता प्राप्त के उपरान्त पर्याप्त समय व्यतीत होने के पश्चात अत्याधिक विलम्ब से प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

प्रस्तुत किया जाना साबित है तथा उक्त अत्याधिक विलम्ब को कण्डोन/शमन किये जाने के बाबत् अपीलांट् द्वारा अपने आप को नाबालिग बताते हुए व पिता की मानसिक बीमारी का कथन करते हुए अपील के हुए विलम्ब को माफ करवाने का प्रयास किया जाना प्रथम दृष्टया स्पष्ट होता है। जो स्वीकार योग्य नहीं है।

10. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील में उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को व न्यायिक दृष्टांतों के अवलोकन के पश्चात् यह पाये जाने पर कि अपीलांट् द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ करने हेतु कोई ठोस, संतोषजनक एवं विश्वसनीय कारण अंकित नहीं किये जाने व प्रस्तुत कारण अस्पष्ट, विवरण रहित एवं विरोधाभासी होने के कारण अपीलांट् की अपील को मियांद के बिन्दु पर विधि सम्मत तरीके से खारिज की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट मियांद के बिन्दु पर किसी प्रकार की कोई राहत प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने से अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाकर अपर जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27–07–2021 यथावत बहाल रखा जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 15.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एन.मौरी)
अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर